मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-11-15/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय आवास गृहों के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र बाबत्.

शासन के ध्यान में आया है कि शासकीय आवास गृहों के अदेय प्रमाण-पत्र के संबंध में कतिपय विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी-25/5/97/पीडब्ल्यूसी/चार, दिनांक 4-2-97 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाने से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के निराकरण में विलम्ब की स्थिति निर्मित हो रही है. अत: अदेय प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:—

(i) शासकीय आवास के किराये के संबंध में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त की जाती है. सेवानिवृत्ति की तिथि तक आवास किराये की राशि वसूल होने और उक्त तिथि तक किराया बकाया न होने का प्रमाण-पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग (जहां कि शासकीय सेवक पदस्थ हैं एवं सेवानिवृत्त हुए हैं) के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सौंपा जाता है.

(ii) जल कर एवं विद्युत् शुल्क का भुगतान शासकीय सेवक द्वारा नगर निगम/नगरपालिका विद्युत् कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये देयकों के आधार पर इन संस्थानों को किया जाता है. अत: जलकर/विद्युत् शुल्क की अंतिम देयक की राशि जमा करने की रसीद को ही अमांग प्रमाण-पत्र आहरण एवं संवितरण द्वारा मान्य किया जाएगा. अंतिम देयक का आशय शासकीय सेवक द्वारा शासकीय आवास की अधिपत्य की तिथि तक है.

2. उपर्युक्त व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु अधीनस्थ संस्थानों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें एवं संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करें कि शासकीय सेवक से प्राप्त होने वाली देयता का उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार निराकरण किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.